39

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1743

रमेश कुमार तिवारी तनय स्व0 श्री गणेश प्रसाद तिवारी उम्रे-55 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम गोंदहाई तहसील मनगवां जिला रीवा मध्यप्रदेश --निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1-भीमसेन ब्राम्हण तनय श्री दीनदयाल ब्रा0 पेशा खेती उम्र-60 वर्ष निवासी ग्राम गोंदहाई तहसील मनगवां जिला रीवा मप्र0

2-खुशीनंद ब्राम्हण पिता श्री यज्ञनारायण ब्रा0 पेशा खेती निवासी ग्राम दुवहाई टोला तह0मनगवां जिला रीवा मप्र0

3-आशुतोष पाण्डेय पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय पेशा खेती निवासी ग्राम हिनौता कोठार तह0 मनगवां जिला रीवा मप्र0

4-बृजेश कुमार ब्राम्हण पिता श्री चिन्तामणि ब्रा0 पेशा खेती निवासी ग्राम गोदहाई तह0मनगवां जिला रीवा मप्र0

5-राजीव कुमार ब्रा0 पिता श्री बुद्धसेन ब्रा0 पेशा खेतीनिवासी ग्राम गोंदहाई तह0 मनगवां जिला रीवा मप्र0

6-अभिषेक कुमार ब्रा0 पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद ब्रा0पेशा खेती निवासी ग्राम बड़वा तह0मनगवां जिला रीवा मप्र0

7-श्रीमती शिवबती पत्नी श्री श्रीनिवास ब्रा0 पेशा खेती निवासी ग्राम गोंदहाई तह0मनगवां जिला रीवा मप्र0

8-शिवमंगल ब्रा0 पिता श्री वंशूराम ब्रा0 पेशा खेती निवासी ग्राम गोंदहाई तह0 मनगवां जिला रीवा मप्र0

9-संजीत कुमार ब्रा0 पिताश्री श्याम लाल ब्रा0 पेशा खेती निवासी द्वारिकानगर तह0हुजूर जिला रीवा मप्र0

10-श्रीमती गुलबसिया पत्नी श्री शोभनाथ कुशवाहा निवासी ग्राम गोंदहाई तह0मनगवां जिला रीवा मध्यप्रदेश

11-कृष्ण कुमार सोनी पिता श्री रामप्रताप सोनी निवासी ग्राम मनगवां तह0मनगवां जिला रीवा मप्र0

12-शेषमणि ब्रा0 पिता श्री दीनदयाल ब्रा0 पेशा खेती निवासी ग्राम गोंदहाई तह0मनगवां जिला रीवा मप्र0

--गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील मनगवां के द्वारा प्रकरण क्रमांक-89/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22.8.2017

निगरानी अंतर्गत धारा - 50 म0प्र0भू0रा0सं0

माान्यवर,

निगरानी के संक्षित विवरण

यहकि भूमि खसरा क्रमांक-53/1 रकवा 0.405 हेक्टेयर स्थित ग्राम गोंदहाई तहसील मनगवां जिला रीवा आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिसके पूर्व भूमिस्वामी आवेदक के पिता स्व0 गणेश प्रसाद तिवारी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उक्त भूमि आवेदक को विरासत में प्राप्त हुयी है तथा राजस्व रिकार्डो में भी आवेदक तथा उसके भाई का नाम भूमिस्वामी तथा काबिजदार के रूप मे दर्ज है ।आवेदक के पट्टे कब्जे की भूमि से लगी हुयी भूमि खसरा क्रमांक 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9 स्थित है जिनमें कुछ खसरा नम्बरों के बटांक निर्मित हो चुके है तथा उक्त भूमियां गैर निगरानीकर्तागणों द्वारा जरिए अंतरण प्राप्त की गयी है तथा उक्त भूमियों के बटांक निर्मित होने के उपरांत गैर निगरानीकर्तागणों द्वारा संबंधित राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से सांठ्गांठ कर निगरानीकर्ता को बिना सूचना दिए तथा बिना पक्षकार बनाए अवैधानिक तरीके से फर्जी नक्शा तरमीम की कार्यवाही कर मनमाने तरीके से नक्शा तरमीम कराकर सीमांकन की कार्यवाही करायी गयी है तथा उक्त सीमांकन की कार्यवाही से निगरानीकर्ता का स्वत्व तथा अधिपत्य प्रभावित हो रहा है तथा उक्त नक्शा तरमीम व सीमांकन की कार्यवाही विधि तथा प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है इस कारण से निगरानीकत्ा द्वारा माननीय न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1743/दो/2018 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22/5/18	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील मनगंवा के प्रकरण क्रमांक 89/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि भूमि खसरा नं. 53/1 रकवा 0.405 है0 स्थित ग्राम गोंदहाई तहसील मनगंवा जिला रीवा आवेदक की पैत्रिक भूमि है, जिसके पूर्व भूमि स्वामी आवेदक के पिता स्व. गणेश प्रसाद तिवारी थे जिनकी मुत्यु हो चुकी है उक्त भूमि आवेदक को विरासत में प्राप्त हुयी है तथा राजस्व अभिलेखो में भी आवेदक तथा उसके भाई का नाम भूमि, स्वामी तथा कब्जेदार के रूप में दर्ज है आवेदक के पट्टे कब्जे की भूमि से लगी हुयी भूमि खसरा क्रमांक 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9 स्थित है इसमे कुछ खसरा नम्बरों में बंटान निर्मित हो चुके है। तथा उक्त भूमियां गैर निगरानी कर्तागण द्वारा जरिये अन्तरण प्राप्त की गयी है। तथा उक्त भूमियो के बंटान निर्मित होने के उपरान्त गैर निगरानी कर्तागण द्वारा संबंधित राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से	

सांठ-गांठ कर निगरानी कर्ता को बिना सूचना दिये तथा बिना पक्षकार बनाये अवैधानिक तरीके से फर्जी नक्शा तरमीम की कार्यवाही कर मनमाने तरीके से नक्शा तरमीम कराकर सीमांकन की कार्यवाही करायी गयी है। तथा उक्त सीमांकन की कार्यवाही से निगरानी कर्ता का स्वत्व तथा अधिपत्य प्रभांवित हो रहा है तथा उक्त नक्शा तरमीम व सीमांकन की कार्यवाही विधि तथा प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस कारण निगरानी कर्ता द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदक के विरूद्ध जो आदेश एवं कार्यवाही तहसीलदार तहसील मनगंवा द्वारा की गयी है, उसमे आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है जबकि आवेदक प्रश्नाधीन भूमियो खसरा क्रमांक 531 रकवा 0.405 है0 का भूमि स्वामी है ऐसी स्थिति में उसे पक्षकार बनाकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उपरोक्त न्याय, प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार तहसील मनगंवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.

2017 से तथा कथित नक्शा तरमीम एवं सीमांकन की कार्यवाही की गयी है जिसमें आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी है जबकि वह भूमि खसरा नं. 53/1, रकवा 0.405 है0 का भूमि स्वामी एवं अधिपत्य धारी है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर कोई जांच किये बिना एवं सरहदी कास्तकारो को सूचना पत्र दिये बिना मनमाने तरीके से जो कार्यवाही की गयी है वह विधिवत् नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार तहसील मनगंवा द्वारा जो कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 22.08.2017 को पारित किया है वह विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील मनगंवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2017 अपास्त किया जाता है तहसील मनगंवा को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्षो को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर विधिवत् रूप से करें। इसी निर्देश के साथ वर्तमानं प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य